



प्रधानमंत्री
फसल बीमा योजना

प्रश्न: गैर क्रणी किसान द्वारा फसल बीमा लेने के लिए कौन-से दस्तावेज जमा करवाना अनिवार्य हैं?

उत्तर: गैर क्रणी किसानों को, भूमि स्वामित्व दस्तावेज - अधिकार का रिकॉर्ड (ROR) और भूमि कब्जा प्रमाण पत्र (एलपीसी), आधार कार्ड (नवीनतम), बैंक पासबुक (प्रथम पृष्ठ - बैंक खातों के विवरण के साथ) और फसल बुआई प्रमाण पत्र (यदि राज्य सरकार की अधिसूचना में अनिवार्य किया गया हो) आदि दस्तावेज अनिवार्य रूप से जमा करवाने होते हैं। बटाईदार किसान या किराया पर ली गयी भूमि की स्थिति में, भूमि के मालिक के साथ अनुबंध समझौता, किराया/पट्टा विलेख इत्यादि दस्तावेज अनिवार्य हैं।



प्रश्न: दावे का मूल्याकन कैसे किया जाता है?

उत्तर: राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित टर्म शीट और अधिसूचित वेदर स्टेशन द्वारा दर्ज किए गए मौसम के आकड़ों के आधार पर दावों का मूल्याकन किया जाएगा और मौसम के आकड़े प्राप्त होते ही दावों की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। दावा मूल्याकन के लिए फसल सर्वेक्षण की आवश्यकता नहीं है, जब तक कि विशेष रूप से सरकारी अधिसूचित टर्म शीट में इसे विशेष तौर उल्लिखित न किया जाए।



प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना

अधिक जानकारी के लिए कृपया अपनी नजदीकी बैंक शाखा/सीएससी से संपर्क करें
या हमारे टोल फ्री नंबर 18002091111 पर संपर्क करें

एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। कॉर्पोरेट और मंजीकृत कार्यालय: फलकम विलिंगंग, 9वीं मंजिल, ए और बी विंग, सहार रोड, अंधेरी (पूर्व), मुंबई-400099। विज्ञापन में दी गई जानकारी साकेतिक रखलप की है। जोखिम कारकों, नियमों और शर्तों पर अधिक जानकारी के लिए कृपया विक्री संपर्क करने से बदले सेल्स ब्रोशर और पॉलिसी की शब्दावलियाँ ध्यान से पढ़ें। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा लाइसेंस के अंतर्गत उपयोग में लाया गया है। | वेबसाइट: www.sbigeneral.in, टोल फ्री: 18001021111। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना IRDAN144CP0003V02201617। विज्ञापन क्रमांक: ADLEF/FEB/21-22/4380।

SBI general
INSURANCE
SURAKSHA AUR BHAROSA DONO

जानेंगे आप तो मिलेगा लाभ

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) हेतु किसानों के सहायतार्थ प्रश्नोत्तरी



कृषि रक्षक




आजादी के अमृत महोत्सव पर हमारा संकल्प है कि किसानों को मिले मौसम के खतरों से आजादी। इसलिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना देती है प्राकृतिक आपदाओं से फसल को सुरक्षा। पॉलिसी को बीमित किसानों के द्वारा तक पहुंचाने के लिए हमने फसल बीमा पॉलिसी वितरण कार्यक्रम का किया है शुभरंभ। अब देश के करोड़ों किसान गर्व से कहेंगे - मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। आगे वाले रवीं २०२२ के मौसम में आप भी इस योजना से जुड़ सकते हैं।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हेतु किसानों के सहायतार्थ प्रश्नोत्तरी:

प्रश्न: प्रधान मंत्री फसल बीमा के तहत पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (RWBCIS) क्या है?

उत्तर: पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना एक मौसम सूचकांक आधारित बीमा योजना है जो किसानों कर फसलों से जुड़े हुए जोखिमों की वजह से होने वाले नुकसान की भरपाई करने का माध्यम है। यह मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों जैसे वर्षा, तापमान, बीमारी अनुकूल मौसम के कारण खेतों को होने वाले नुकसान से किसानों को सुरक्षा प्रदान करती है।



प्रश्न: फसल बीमा कौन करवा सकता है?

उत्तर: ऋणी एवं गैर-ऋणी (बटाईदार/साझेदार) किसान अधिसूचित क्षेत्र में अधिसूचित की गई फसलों के बीमा का लाभ उठा सकते हैं। ऋणी एवं गैर-ऋणी किसानों के लिए यह योजना स्वैच्छिक है। अपने क्षेत्रों में अधिसूचित फसलों एवं उसके अंतिम तिथि के लिए सीएससी केंद्र, पीएमएफबीवाई पोर्टल, इंश्योरेंस कंपनी या कृषि कार्यालय से संपर्क करें।

ऋणी किसान आवेदन की अंतिम तिथि से 7 दिन पहले तक सम्बंधित बैंक शाखा में ऑप्ट-आउट फॉर्म या स्व-घोषणा पत्र प्रस्तुत करके योजना से बाहर हो सकते हैं।

प्रश्न: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों के लिए बीमित राशि क्या होगी?

उत्तर: बीमित राशि का निर्धारण जिला स्तरीय तकनीकी समिति द्वारा फसल के वित्त मान (Scale of Finance) के आधार पर किया जाता है।



प्रश्न: RWBCIS के तहत कौन-कौन से जोखिम शामिल हैं?

- उत्तर:** योजना के तहत निम्नलिखित जोखिम शामिल हैं;
- 1) वर्षा की कमी/अधिक वर्षा/बेमौसम वर्षा
 - 2) तापमान की अस्थिरता, कम/उच्च तापमान
 - 3) बीमारी अनुकूल मौसम
 - 4) या इन सभी का संयोजन हो सकता है

प्रश्न: इस योजना के तहत कौन सी फसल को कवर किया जा सकता है और किसान द्वारा दिये जाने वाले प्रीमियम दर क्या है?

उत्तर: ज्यादातर बागवानी और वार्षिक वाणिज्यिक फसले RWBCIS के अंतर्गत आती हैं और किसान द्वारा दिये जाने वाले प्रीमियम दर बीमित राशि का 5% या बीमाकांक्षा प्रीमियम दर, जो भी कम है।



प्रश्न: इस योजना के तहत गैर-ऋणी किसान बीमा कैसे ले सकते हैं?

उत्तर: फसल बीमा योजना के तहत बीमा प्राप्त करने के इच्छुक गैर-ऋणी किसान निकट बैंक शाखा/सहकारी समिति/अधिकृत चैनल पार्टनर/जन सेवा केंद्र (सीएससी)/बीमा कम्पनी या उनके अधिकृत एजेंट से सम्पर्क कर सकते हैं या निधारित तिथि के अंतर्गत स्वयं राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल www.pmfby.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन फार्म भर सकते हैं।



प्रश्न: क्या ऋणी किसान बीमित फसल में परिवर्तन करा सकते हैं एवं कब तक?

उत्तर: हाँ, ऋणी किसान बीमित फसल में परिवर्तन करवा सकते हैं, इसके लिए राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नामांकन की अंतिम तिथि से दोन (कार्य दिवस) पहले तक किसान अपने फसल में परिवर्तन की सूचना सम्बंधित बैंक शाखा में दे सकते हैं।